कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांकः– 3398 /लोअर/ दिनांकः–07.09.2019

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–02/अ0अ0/2019–20

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो की मुहरबंद निविदायें वर्गीकृत श्रेणी की पंजीकृत श्रेणी में दिनांक 24.09.2019 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनांकः–24.09.2019 को दोपहर 3.00 बजे अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के कार्यालय में खोली जायेंगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में बिड अगले कार्यदिवस में दोपहर 12.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शर्तो के अनुसार दिनांकः–19.09.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांकः–23.09.2019 को अपरान्ह 01.00 बजे तक किसी भी कार्यकारी दिवस में अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा, सहायक अभियन्ता–प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा एवं अधिशासी अभियन्ता–अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा के कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

कार्य का विवरण

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित(रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार के पंजीयन की श्रेण
1	आगरा	रा0 टर्मीनल के किमी0 0.000 से 14.400 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य	9.00	0.90	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
2	आगरा	रा0 टर्मीनल के किमी0 14.460 से 37.600 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	9.00	0.90	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
3	आगरा	रा0 टर्मीनल के किमी0 37.660 से 63.600 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	8.00	0.80	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
4	आगरा	रा0 आगरा के किमी0 0.000 से 21.200 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	8.50	0.85	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
5	आगरा	रा0 सिकन्दरा के किमी0 0.000 से 14.530 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	5.30	0.53	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
6	आगरा	रा0 इरादतनगर के किमी0 0.000 से 12.000 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	6.50	0.65	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
7	आगरा	रा0 इरादतनगर के किमी0 12.060 से 28.800 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	3.30	0.33	168.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
8	आगरा	रा0 गोपऊ के किमी0 0.000 से 9.800 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	5.40	0.54	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर
9	आगरा	रा0 गोपऊ के किमी0 10.000 से 27.000 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।	7.60	0.76	252.00	15 दिवस	श्रेणी सी एवं उच्चतर

10	**आगरा**	रा0 जाजऊ **के किमी0 0.000 से 14.400 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	7.00	0.70	**252.00**	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
11	**आगरा**	मा0 खेरागढ **किमी0 0.000 से 10.800 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	3.00	0.30	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
12	**आगरा**	मा0 मलिकपुर **किमी0 0.000 से 13.800 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	4.80	0.48	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
13	**आगरा**	मा0 श्यामो **किमी0 0.000 से 8.800 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	2.60	0.26	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
14	**आगरा**	मा0 बीसलपुर **किमी0 0.000 से 10.400 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	3.00	0.30	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
15	**आगरा**	मा0 औरंगपुर **किमी0 0.000 से 8.000 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	2.40	0.24	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
16	**आगरा**	मा0 हिरौन्डा **किमी0 0.000 से 8.600 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	2.50	0.25	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
17	**आगरा**	फ0सी0शाखा **किमी0 0.000 से 6.000 तक आन्तरिक भाग में सफाई का कार्य।**	4.00	0.40	168.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
18	**आगरा**	फ0सी0शाखा के कि0मी0 19.000 से 27.000 तक ठेक एवं जंगल सफाई के कार्य	5.40	0.54	252.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
19	**आगरा**	फ0सी0शाखा के कि0मी0 48.800 से 60.000 तक ठेक एवं जंगल सफाई के कार्य	6.00	0.60	252.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**
20	**आगरा**	फ0सी0शाखा के कि0मी0 67.200 से 93.300 तक ठेक एवं जंगल सफाई के कार्य	8.00	0.80	252.00	**15 दिवस**	**श्रेणी सी एवं उच्चतर**

उक्त निविदा की शर्ते विभागीय वेबसाइट (http://upirrigation.nic.in) **पर व खण्ड़ीय कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।**

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा

निविदा सूचना संख्याः–02/अ0अ0/2019–20 की शर्ते

1–यह निविदा विभागीय वेबसाइट (http://upIrrigation.gov.in) पर उपलब्ध है।

2–निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते, तकनीकी विवरण, निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

3–निविदा मूल्य एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 का मूल्य नकद/ड्राफ्ट (जो कि अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड़ आगरा नहर, आगरा के नाम बंधक तथा Pay-able at आगरा होगा) जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है।

4–निविदा के साथ निम्न प्रपत्र/अभिलेखों की पठनीय स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा उक्त सभी प्रमाण–पत्र मूल रूप में अनुबन्ध के समय परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(1) सिंचाई विभाग में निर्धारित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

(2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आई0डी0टी0–1)।

(3) हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2)।

(4) स्वघोषणा शपथ पत्र (आई0डी0टी0–3)।

(5) श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(6) कार्य के लिये आवश्यक संयत्र/मशीनरी का विवरण सम्बन्धी शपथ–पत्र।

(7) कार्य के आवश्यक तकनीकी कर्मचारी का विवरण सम्बन्धी शपथ–पत्र।

(8) जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।

(9) सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म का पैनकार्ड।

5– धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर के रूप में जो कि **अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा** के पक्ष में बन्धक होगी, मूल रूप में संलग्न की जायेगी।

6– अनुबन्ध के समय मूल–वांछित प्रतिभूति/धरोहर धनराशि के अभिलेख मूल जमा करना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश सं0–52/1439/17–27–सिं–03–07/विविध/17/दिनांक–09.10.2017 के अनुसार निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्व वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।

7–प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00/–नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। 90 दिन से पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

8–प्रत्येक निविदिदाता को रू 100.00/–नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वधोषणा शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दिनांक सहित हस्ताक्षर करना होगा।

9–कार्य के भुगतान के समय नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी रायल्टी एवं समय–समय पर लागू अन्य प्रचलित कर/उपकर देना होगा।

10–अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी भी जमा करनी होगी।

11–निविदादाता द्वारा विभागीय लागत् से कम लागत् की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्याः–622/23.12. 202–2 आडिट/08 टीसी–2,दिनांकः–08.06.2012 के अनुसार न्यूनतम दरें (बिलो रेट्स) डाले जाने पर नियमानुसार परफोंमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गाठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12–ठेकेदार/फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। कार्य सम्पादित करने के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची पूर्ण विवरण सहित अद्यतन रखना होगा तथा नियमानुसार श्रमिको के रहने आदि की व्यवस्था करनी होगी।

13–निविदादाता निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल तक पहुँच मार्ग, कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में कार्य/कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा डाले, बाद में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर विभाग/खण्ड़ की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

14–आवश्यकता अनुसार कार्य की मात्रा घटायी एवं बढायी जा सकती है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

15–अनुबंध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लधंन किया गया है तो ऐसे अनुबंध सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

16–निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी एवं शर्तो का पूर्ण न कर पाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

17–निविदादाता/बिडर को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/ड्राइंग इत्यादि/स्थल की पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी। सहयोग हेतु कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

18–इस निविदा को बिना कारण बतायें पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। जिसके लिये किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई दावा/क्लेम मान्य नही होगा।

19–यह संज्ञान में आने पर कि किसी भी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दीं गयीं हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ अनुबंध हो भी गया तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

20–कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

21–राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

22–यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध दवाब/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा डाले जाने की स्थिति में भी सम्बन्धित ठेकेदार की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

23–उपरोक्त कार्य की निविदायें धन आवंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है। धन आवंटन कम प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा, निविदा खोले जाने के पूर्व या उपरान्त भी बिना कारण बताये आवश्यकताअनुसार, निविदायें निरस्त की जा सकती है। इसके लिये किसी भी निविदादाता का कोई क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।

24–यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत् से अत्यन्त कम दरें दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आंशका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानको के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आंशका की पुष्टि हो जाती है कि कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष के आधार पर अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

25– 'निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0 रहित दरें डाली जायेगी।

26–धन उपलब्धता के अनुसार कराये गये कार्यो का भुगतान किया जायेगा। भुगतान में विलम्ब के लिये कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

27–विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिर्वतन होता है तो इसकी सूचना खण्ड़ीय कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

28– सभी निविदा प्रपत्रों का परीक्षण किया जायेंगा कि निविदा की शर्तो का पालन किया गया है अथवा नहीं, प्रपत्र ठीक है अथवा नहीं। उक्त के किसी प्रकार कमी एवं असन्तोषजनक होने की स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

29–कार्य के सम्पादन अथवा कार्य समाप्ति के उपरान्त कार्य की गुणवत्ता आदि के सम्बंध में कोई वसूली होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

30– निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा नियमानुसार अधिकतम 5 कार्य दिवसों में परफोरमेन्स गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो कि **अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा** के पक्ष में बन्धक, उपलब्ध करानी होगी अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुये अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

31–कराये गये कार्यो का डिस्पोजल, ड्रैसिंग इन्जीनियरिगं इन्चार्ज के दिशा निर्देश अनुसार संतोषजनक न होने पर विभागीय प्राक्कलित दरो के 15 प्रतिशत की दर से कटौती करते हुये अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जायेगी।

32–सिल्ट सफाई के दौरान नहर की पुल–पुलिया/कुलाबे अथावा पहुॅच मार्ग/ पक्का स्ट्रक्चर आदि को छति पहुॅचती है तो इसकी भरपायी से की कटौती की जायेगी।

33–पत्राचार/सूचना उपलब्ध कराने हेतु निविदिदाता को हेतु न्यूनतम 10.00 के स्टॉम्प पर पत्राचार का पूर्ण पता, मोबाईल न0 तथा email I.D. अंकित कर स्वः प्रमाणित कर निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा।

33–उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड़ आगरा नहर, आगरा